कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक 4662 /14–1 दिनांक, 24 मार्च, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0,
लखनऊ।

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/755 दि0–08.03.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 2564/11–सी–एफपी/यूपी /रोड़/144793/2021 दि0–09.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, के क्रम में चाही गयी आख्या निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	आपत्तियाँ	निराकरण
1	2	3
1	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 52.14 ha. (DFL), which is less than the actual required CA land area. This need clarification/rectification.	प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट वन प्रभाग का प्रमाण पत्र पार्ट–2 में उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत अपलोड किया गया है तथा जिसे इस कार्यालय की पत्र सं0–4661/14-1 दि0–24.03.2022 द्वारा 04 प्रतियों में प्रेषित है। अतः इस प्रकार 62.00 हे0 अवनत वनभूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध है।
2	.kml file of the proposed alternate routes has been received, but demarcation of the forest area has been missing from the alternate route, this needs retification.	यूज़र एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम अल्टरनेट रूट जो कि अलीगढ़ में स्थित शेखाबर्डसेन्चुरी, के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) के अन्दर से होकर जा रही है। इसी प्रकार तृतीय अल्टरनेट रूट अमरोहा में हस्तिनापुर वन्य जीवविहार के अन्दर से जा रही है। वन्य जीव विहारों के सीमा एवं ESZ के अन्तर्गत आने के कारण इन दोनो अल्टरनेटिव रूट पर अग्रेतर विचार नहीं किया गया। द्वितीय अल्टरनेट रूट के अन्तर्गत कोई वन्य जीव विहार, पक्षी विहार एवं उनके ईको सेन्सिटिव जोन नहीं आ रहे हैं। यह रूट मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त होने के कारण चयनित किया गया है। यूज़र एजेन्सी का उत्तर पार्ट–1 में अपलोड किया गया है तथा हार्डकॉपी पत्रावली में संलग्न कर प्रेषित है।

<table>
<tr><td></td><td>As per the GIS DSS four patches of CA land in Purthiyawan village is falling under the forest block (RF). This needs rectification.</td><td>उपरोक्त गैर वनभूमि ऊसर, बंजर एवं नवीन परती के रूप में दर्ज है, इसमें कोई भी वनभूमि सम्मिलित नहीं है। वनभूमि के निकट की गैर वनभूमि को सुरक्षा की दुष्टि से डी0एफ0ओ0, उन्नाव की सहमति से प्राप्त किया गया है। यूज़र एजेन्सी ने सम्भावना व्यक्त की है कि वनभूमि के डिजिटल मैप एवं राजस्व विभाग के कैडेस्ट्रल मैप में सम्भव है कि समरुपता न हो जिसके कारण अन्तर दृष्टिगोचर हो रहा हो।
इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से भी जांच करायी गयी तथा पाया गया कि ग्राम–पुरथ्यावां में 5.3517 हे0 गैर वन भूमि जो कि यूपीडा के द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी में कोई भी वन भूमि सम्मिलित नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जा रहा है। प्रमाण पत्र की हार्डकॉपी 04 प्रतियों में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Revised NPV calculation as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 needs to be submitted.</td><td>सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये संशोधित एन0पी0वी0 धनराशि का संकलित विवरण निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वन प्रभाग का नाम</th><th>ईको क्लॉस</th><th>घनत्व</th><th>वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 म)</th><th>एन0पी0वी दर (रू0 में)</th><th>एन0पी0वी धनराशि (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>हापुड़</td><td>III</td><td>0.5</td><td>2.0342</td><td>1228590</td><td>2499197.78</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अमरोहा</td><td>III</td><td>0.2</td><td>1.68</td><td>957780</td><td>1609070.40</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सम्भल</td><td>III</td><td>0.2</td><td>4.052</td><td>957780</td><td>3880924.56</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बदायूं</td><td>III</td><td>0.3</td><td>4.9257</td><td>957780</td><td>4717736.95</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ाहजहाँपुर</td><td>III</td><td>0.3</td><td>3.907</td><td>957780</td><td>3742046.46</td></tr>
<tr><td>6</td><td>हरदोई</td><td>III</td><td>0.3</td><td>6.2873</td><td>957780</td><td>6021850.19</td></tr>
<tr><td>7</td><td>उन्नाव</td><td>III</td><td>0.1</td><td>67.7839</td><td>957780</td><td>64922063.74</td></tr>
<tr><td>8</td><td>रायबरेली</td><td>III</td><td>0.1</td><td>29.7266</td><td>957780</td><td>28471542.95</td></tr>
<tr><td>9</td><td>प्रतापगढ़</td><td>III</td><td>0.1</td><td>1.0749</td><td>957780</td><td>1029517.72</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>121.4716</td><td></td><td>116893950.75</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक 4662 /समदिनांक

प्रतिलिपि:– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव